

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

मन्नी बीबी उर्फ मनी बीबी

बनाम

मोबिना खातून एवं अन्य

2018 की दीवानी विविध क्षेत्राधिकार सं. 1477

18 जुलाई 2025

(माननीय न्यायमूर्ति श्री अनिल कुमार सिन्हा)

विचार के लिए मुद्दा

क्या वाद भूमि पर कब्जाधारी तथा स्वयं को कानूनी उत्तराधिकारी बताने वाली याचिकाकर्ता आवश्यक एवं उचित पक्षकार है और क्या उसे आदेश 1 नियम 10(2) के तहत के रूप में उत्तरदाता के रूप में प्रतिवेशित किया जाना चाहिए?

हेडनोट्स

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि विवादित भूमि उसकी माता को आवंटित की गई थी और उसने उस भूमि पर मकान बनाकर निवास करना प्रारंभ कर दिया है। इस तथ्य की पुष्टि प्रतिवादियों के लिखित बयान से भी होती है, जिसका उल्लेख अधीनस्थ न्यायालय ने किया है। याचिकाकर्ता का दावा सही है या नहीं, इसका निर्णय परीक्षण (ट्रायल) में होगा, न कि इस चरण पर। जब याचिकाकर्ता एक आवश्यक पक्षकार है, तो न्यायालय को उसे उत्तरदाता पक्षकार के रूप में शामिल करना चाहिए था। याचिकाकर्ता के वाद में पक्षकार बनाए बिना विवादों का समुचित, प्रभावी और पूर्ण निस्तारण संभव नहीं होगा। (पैरा 18, 19)
आवेदन स्वीकृत किया जाता है। (पैरा 21)

न्याय दृष्टान्त

रज़िया बेगम बनाम साहबज़ादी अनवर बेगम एवं अन्य (ए.आई.आर. 1958 एस.सी. 886); मोरेश्वर यादवराव महाजन बनाम व्यंकटेश सीताराम भेड़ी (सिविल अपील संख्या 5755-5756/2011); मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्रा. लिमिटेड बनाम रीजेंसी कन्वेंशन सेंटर एण्ड होटल्स प्रा. लिमिटेड (2010) 7 एस.सी.सी. 417

अधिनियमों की सूची

दीवानी प्रक्रिया संहिता, 1908 (आदेश 1 नियम 10(2), धारा 151); भारतीय संविधान (अनुच्छेद 227)

मुख्य शब्दों की सूची

प्रतिवेशिता; आवश्यक पक्षकार; बंटवारा वाद; आदेश 1 नियम 10(2) दं.प्र.सं.; दीवानी विविध; अनुच्छेद 227 संविधान; भूमि पर कब्जा; पैतृक संपत्ति; प्रभावी निर्णय; याचिका की अस्वीकृति

प्रकरण से उत्पन्न

बंटवारा वाद संख्या 26/2018/(4/2018), अवर न्यायाधीश-V, औरंगाबाद

पक्षकारों की ओर से उपस्थिति

याचिकाकर्ता की ओर से: श्रीमती निवेदिता निर्विकार, वरिष्ठ अधिवक्ता; श्री मनीष धाती सिंह, अधिवक्ता; सुश्री ऋचा, अधिवक्ता

उत्तरदाताओं की ओर से: कोई नहीं

रिपोर्टर द्वारा हेडनोट बनाया गया: अमित कुमार मल्लिक, अधिवक्ता

माननीय पटना उच्च न्यायालय का निर्णय/आदेश

पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2018 की दीवानी विविध क्षेत्राधिकार सं. 1477

मन्नी बीबी, उर्फ मनी बीबी, पति: आबिद हुसैन, माता: रसूलन बीबी, निवासी: मोहल्ला-
नवाडीह, डाकघर एवं थाना: औरंगाबाद, जिला-औरंगाबाद।

... ..

याचिकाकर्ता/ओं

बनाम

1. मोबीना खातून स्वर्गीय अनुल हक की पत्नी।
2. अमल परवीन
3. गजल परवीन
4. मुस्कान परवीन, सभी के पिता : स्वर्गीय अनुल हक , सभी मोहल्ला: नवादा, वार्ड संख्या-22,
औरंगाबाद, थाना: औरंगाबाद (टी), जिला-औरंगाबाद , बिहार के निवासी हैं।
5. अबादा खातून, स्वर्गीय जैनुल हक की पत्नी
6. गुलाम मुस्तफा उर्फ शेरू
7. अलाउद्दीन उर्फ तेमान
8. अरसद उर्फ बाबा , सभी स्वर्गीय जैनुल हक के पुत्र
9. शम्शा खातून, पिता : स्वर्गीय मो. कासिम, पति: मो. कासिम , सभी मोहल्ला-नवादा, वार्ड
संख्या- 22, औरंगाबाद, थाना : औरंगाबाद , (टी)जिला-औरंगाबाद बिहार के निवासी हैं।

... ..उत्तरदाता/ओं

उपस्थिति:

याचिकाकर्ता/ओं के लिए:

श्रीमती निवेदिता निर्विकार, वरिष्ठ अधिवक्ता

श्री मनीष धाती सिंह, अधिवक्ता

सुश्री ऋचा, अधिवक्ता

उत्तरदाता/ओं के लिए:

कोई नहीं।

गणपूर्ति : माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील दत्त मिश्र

सीएवी निर्णय

तारीख:13-04-2023

उत्तरदाता संख्या 1 से 4, जो इस मुकदमे में वादी हैं, को नोटिस जारी किया गया था। नोटिस की वैधता तामील और पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद, उक्त उत्तरदाताओं/वादियों की ओर से कोई भी पेश नहीं हुआ।

2. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को सुना।

3. यह दीवानी विविध आवेदन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत विद्वान उप न्यायाधीश-V, औरंगाबाद द्वारा विभाजन वाद संख्या 26/2018/(4/2018) में पारित दिनांक 19.06.2018 के आदेश के विरुद्ध दायर किया गया है, और जिसके तहत याचिकाकर्ता द्वारा आदेश 1 नियम 10(2) और सी.पी.सी. की धारा 151 के तहत उत्तरदाता के रूप में पक्षकार बनने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी गई थी।

4. वादी/उत्तरदाता के प्रथम समूह ने विभाजन वाद दायर किया, जिसकी विभाजन वाद संख्या 26/2018 (4/2018) है और जिसमें वाद भूमि के 1/3 हिस्से के संबंध में प्रारंभिक डिक्री प्रदान करने और सर्वेक्षण के जानकारी प्लीडर आयुक्त की नियुक्ति करके वादी को उसका अलग तख्ता प्रदान करने और वाद की अनुसूची-II में दी गई भूमि पर वादी के अधिकार, स्वामित्व और हित की घोषणा करने के लिए राहत मांगी गई है।

5. वादियों का मामला यह है कि अब्दुल नसीब खतियानी रैयत थे और वादी और उत्तरदाताओं, दोनों के पूर्वज थे। पक्षकारों के बीच संबंध दर्शाने के लिए वादपत्र के साथ वंशावली संलग्न है। उत्तरदाताओं ने लिखित बयान में तर्क दिया कि वादी और उत्तरदाता एक ही पूर्वज अब्दुल नसीब के वंशज हैं, जिन्होंने 05.01.1933 को दाइन मेहर के रूप में, अपनी पत्नी शहीदन के पक्ष में प्लॉट संख्या 1053, खाता संख्या 132, क्षेत्रफल 7 डेसिमल भूमि के संबंध में बाई मुकासा का पंजीकृत विलेख निष्पादित किया था जिसके उपरांत अब्दुल नसीब की विधवा बीबी शहीदन, जिनके दो बेटे और एक बेटी हैं, की मृत्यु हो गई और उन्हें उपहार में दी गयी संपत्ति उनके बच्चों के कब्जे में आ गयी। वाद-भूमि के उत्तरी भाग की ओर के भूखंड पर स्थित घर मनी बीबी (यहाँ याचिकाकर्ता) का है और उनका उसपर कब्जा है।

6. याचिकाकर्ता ने 05.06.2018 को आदेश 1 नियम 10 (2) और धारा 151 सी.पी.सी. के तहत एक याचिका दायर की, जिसमें उक्त विभाजन वाद में हस्तक्षेपकर्ता-उत्तरदाता के रूप में पक्षकार बनने की मांग की गई और उनका दावा यह था कि अनुसूची-II की संपत्ति याचिकाकर्ता की है क्योंकि इसे उसकी माँ रसूलन बीबी (अब्दुल नसीब की बेटी) को उसके भाइयों के साथ सौहार्दपूर्ण विभाजन में प्रदान किया गया था। याचिकाकर्ता ने आगे दावा किया कि उन्होंने वादग्रस्त भूमि (अनुसूची II की भूमि) पर रिहायशी आवास निर्मित किया है और उसमें रह रही हैं।

7. प्रत्युत्तर में, वादी ने कहा था कि अब्दुल नसीब की कोई बेटी नहीं थी और याचिकाकर्ता अजनबी हैं और वह स्वर्गीय अब्दुल नसीब की कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है।

8. याचिकाकर्ता ने संबंधित वार्ड आयुक्त द्वारा जारी एक प्रमाण पत्र विद्वान न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था, जिसमें यह प्रमाणित किया गया था कि याचिकाकर्ता शहीदन बीबी की नातिन और रसूलन बीबी की पुत्री हैं और वह औरंगाबाद के नवाडीह वार्ड में मकान बना कर रह रही हैं। याचिकाकर्ता ने विवादित भूमि पर स्थित मकान के लिए औरंगाबाद नगर परिषद को दिए गए संपत्ति कर के भुगतान की रसीद भी प्रस्तुत की थी। हालाँकि, विद्वान न्यायालय ने दिनांक 05.06.2018 को दायर उक्त याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें 19.06.2018 के आदेश के तहत उत्तरदाता के रूप में पक्षकार बनने की मांग की गई थी और जिसके विरुद्ध याचिकाकर्ता ने यह दीवानी विविध आवेदन दायर किया था।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील ने दलील दी है कि वाद भूमि पर बना घर याचिकाकर्ता का ही है और वह उनके कब्जे में है। वादी ने उस भूमि पर दावा किया है जो याचिकाकर्ता की है और जो उनके साझे पूर्वज अब्दुल नसीब की नातिन है। उन्होंने आगे दलील दी है कि उत्तरदाताओं ने भी अपने लिखित बयान में याचिकाकर्ता के दावे को स्वीकार किया है और अदालत ने भी अपने 10.07.2018 के आदेश में इस बात का जिक्र किया है कि अब्दुल नसीब ने अपनी पत्नी शहीदन के पक्ष में दाइन मेहर के रूप में खाता संख्या 132, क्षेत्रफल 7 डेसिमल के प्लॉट संख्या 1053 की ज़मीन के संबंध में बाई मुकासा का पंजीकृत दस्तावेज़ दिनांक 05.01.1933 को निष्पादित किया था। अब्दुल नसीब की विधवा शहीदन बीबी की मृत्यु हो गयी और उनके मरणोपरांत शहीदन बीबी को उपहार में दी गयी सम्पत्ति उनके दो बेटों और एक बेटी के कब्जे में आ गयी।

10. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया कि न्यायालय ने इस मुद्दे से सम्बंधित कानूनी बिंदुओं पर विचार किया है और यह टिप्पणी की है कि यदि याचिकाकर्ता द्वारा दावा किया गया संबंध विद्यमान है, तो वह आवश्यक पक्षकार है। किन्तु याचिकाकर्ता की याचिका को खारिज कर दिया है जो तथ्य और कानून दोनों के विरुद्ध है। याचिकाकर्ता आवश्यक पक्षकार है और उसे पक्षकार उत्तरदाता के रूप में पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है।

11. दीवानी प्रक्रिया संहिता के आदेश 1 नियम 10(2) के प्रावधानों के तहत न्यायालय को व्यापक विवेकाधिकार प्रदान किया गया है। पक्षकार के रूप में शामिल होने के लिए आवेदन किए बिना भी, न्यायालय कार्यवाही के किसी भी चरण में यह आदेश दे सकता है कि किसी भी ऐसे पक्षकार का नाम जोड़ा जाए, जिसे वादी या उत्तरदाता के रूप में शामिल होना चाहिए था या न्यायालय के समक्ष जिसकी उपस्थिति मुकदमे से संबंधित सभी प्रश्नों पर प्रभावी

और पूर्ण रूप से निर्णय लेने हेतु आवश्यक है। विवेकाधिकार का प्रयोग कानून के ठोस न्यायिक सिद्धांतों के आधार पर किया जाएगा, जिसमें मामले के तथ्यों को ध्यान में रखा जाएगा। आदेश 1 नियम 10(2) सीपीसी के तहत न्यायिक विवेकाधिकार का प्रयोग करते समय, न्यायालय निश्चित रूप से तर्क और निष्पक्षता के अनुसार कार्य करेगा, न कि अपनी इच्छा और मनमानी के अनुसार।

12. यह सर्वविदित है कि पक्षकारों को जोड़ने के संबंध में अंतर्निहित सिद्धांत यह है कि मुकदमेबाजी में अंतिमता होनी चाहिए और इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए न्यायालय का यह दायित्व होगा कि वह एक ऐसे पक्षकार को जोड़े जिसकी उपस्थिति मुकदमेबाजी में सभी विवादों को अंतिम रूप से समाप्त करने के लिए आवश्यक हो। सीपीसी के आदेश 1 नियम 10 में उल्लिखित "मुकदमे में शामिल प्रश्न" का अर्थ है न केवल मुकदमे में शामिल वैसे प्रश्न जो मूल रूप से मुकदमे के पक्षकारों के बीच तैयार किए गए थे, बल्कि मुकदमे के पक्षकारों और किसी तीसरे पक्ष के बीच का कोई विवाद भी इसमें शामिल होगा। इस प्रावधान का उद्देश्य यह है कि जहाँ एक ही विषय-वस्तु से कई विवाद उत्पन्न होते हैं, ऐसे विवादों में रुचि रखने वाले सभी पक्षों को न्यायालय के समक्ष लाया जाना चाहिए और उनके बीच विवाद के सभी प्रश्नों का मुकदमे में पूरी तरह से निपटारा किया जाना चाहिए।

13. मुकदमे से संबंधित सभी प्रश्नों का प्रभावी और पूर्ण न्यायनिर्णयन और निपटान यह तय करने का प्राथमिक परीक्षण है कि मुकदमे में किसी पक्ष को शामिल करना आवश्यक है या नहीं।

14. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **रजिया बेगम बनाम साहेबजादी अनवर बेगम एवं अन्य (एआईआर 1958 एससी 886)** मामले में यह टिप्पणी की थी कि इसमें तनिक भी संदेह नहीं हो सकता कि न्यायिक निर्णयों के परिणामस्वरूप यह दृढ़ता से स्थापित हो गया है कि ऐसे किसी व्यक्ति को किसी मुकदमे में पक्षकार के रूप में जोड़ा जा सकता है जिसका प्रत्यक्ष हित मुकदमे की विषयवस्तु में हो, चाहे इससे चल या अचल संपत्ति से संबंधित प्रश्न ही क्यों न उठ रहा हो।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **मोरेशर यादवराव महाजन बनाम व्यंकटेश सीताराम भेदी (दीवानी अपील संख्या 5755-5756/2011)** में दिनांक 27.09.2022 के निर्णय में दोहराया कि एक आवश्यक पक्षकार होने के लिए, द्विविधता परीक्षण (ट्विन टेस्ट) को पूरा करना होगा। पहला यह है कि कार्यवाही में शामिल विवादों के संबंध में ऐसे पक्षकार के विरुद्ध राहत का अधिकार होना चाहिए। दूसरा यह है कि ऐसे पक्षकार की अनुपस्थिति में कोई प्रभावी डिक्री पारित नहीं की जा सकती।

16. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड बनाम रीजेंसी कन्वेंशन सेंटर एंड होटल्स प्राइवेट लिमिटेड एवं अन्य (2010) 7 एससीसी 417 के मामले में पक्षकारों को हटाने या जोड़ने के संबंध में सीपीसी के आदेश 1 नियम 10(2) के दायरे और परिधि पर व्यापक रूप से चर्चा की है। यह देखा गया कि 'आवश्यक पक्ष' वह व्यक्ति है जिसे एक पक्षकार के रूप में शामिल किया जाना चाहिए था और जिसकी अनुपस्थिति में न्यायालय द्वारा कोई प्रभावी डिक्री पारित नहीं की जा सकती थी। यह माना गया है कि यदि किसी 'आवश्यक पक्ष' को पक्षकार नहीं बनाया जाता है, तो वाद निरस्त किए जाने योग्य है। एक 'उचित पक्षकार' यद्यपि आवश्यक पक्षकार नहीं है, किन्तु एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी उपस्थिति न्यायालय को मुकदमे में विवादित सभी मामलों पर पूरी तरह से, प्रभावी रूप से और पर्याप्त रूप से निर्णय लेने में सक्षम बनाएगी। हालाँकि यह आवश्यक नहीं है कि वह ऐसा व्यक्ति हो जिसके पक्ष में या विरुद्ध डिक्री जारी की जानी है। यदि कोई व्यक्ति उचित या आवश्यक पक्षकार नहीं पाया जाता है, तो न्यायालय को वादी की इच्छा के विरुद्ध उसपर अभियोग लगाने का कोई अधिकार नहीं है।

17. वादी अपने स्वयं के मुकदमे का *डोमिनस लिटिस* (मुकदमे का मालिक) है। यह अब *रेस इंटेग्रा* (निर्णीत विषय) नहीं रहा कि *डोमिनस लिटिस* के सिद्धांत को पक्षकार बनने वाले पक्षों के मामले में और व्यापक नहीं किया जा सकता है, जिसके परिणामस्वरूप आवश्यक पक्षों की अनुपस्थिति में अप्रभावी डिक्री पारित हो जाती है या इसका दुरुपयोग गैर-हितधारकों/अधिकारियों के विरुद्ध डिक्री प्राप्त करने और फिर वादी के अधिकारों का दावा करने के लिए किया जाता है। न्यायालय को यह भी सुनिश्चित करना है कि विवादित वास्तविक मामले का प्रभावी ढंग से निर्णय उन सभी आवश्यक पक्षों को पक्षकार बनाकर किया जाए। केवल इसलिए कि वादी किसी व्यक्ति को पक्षकार बनाने का विकल्प नहीं चुनता है, यह पक्षकार बनने के आवेदन को अस्वीकार करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है।

18. याचिकाकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता को सुनने और अभिलेख में उपलब्ध सामग्री के अवलोकन के बाद, ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि वाद भूमि उसकी माँ को आवंटित की गई थी और वह घर के निर्माण के बाद वाद भूमि पर निवास कर रही हैं और उक्त तथ्य की पुष्टि उत्तरदाताओं के लिखित बयान से भी होती है, जिसका उल्लेख न्यायालय ने भी किया है। याचिकाकर्ता का दावा सही है या नहीं, इसका निर्णय केवल सुनवाई के दौरान किया जा सकता है, इस स्तर पर नहीं। जब याचिकाकर्ता एक आवश्यक पक्ष है, तो न्यायालय को उसे एक पक्षकार-उत्तरदाता के रूप में पक्षकार बनाना चाहिए था।

19. पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत प्रतिकूल दावों के बावजूद, क्या यह कहा जा सकता है कि याचिकाकर्ता को मुकदमे में शामिल किए बिना मामले के विवादों का उचित, प्रभावी और पूर्ण

अधिनिर्णयन हो सकेगा? मेरे विचार से इसका उत्तर है: नहीं। विचारण न्यायालय याचिकाकर्ता की उपस्थिति में, मुकदमे के सभी विवादित मामलों पर प्रभावी ढंग से और पर्याप्त रूप से निर्णय लेगा।

20. उपरोक्त कारणों से, मैं निचली अदालत के आक्षेपित आदेश को निरस्त करता हूँ और निर्देश देता हूँ कि याचिकाकर्ता को पक्षकार उत्तरदाता के रूप में शामिल किया जाए।

21. तदनुसार, यह दीवानी विविध आवेदन स्वीकार किया जाता है।

सुनील दत्त मिश्रा, न्यायमूर्ति

सौरभकुमार/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।